सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-22.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स० श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल', स०वि०स०	''बिहार में खरीफ विपणन वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 नवम्बर से धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ है, जिसमें सहरसा जिला में 822933.00 क्विंटल, सुपौल जिला में 1161350.00 क्विंटल एवं मधेपुरा जिला में 1103870.00 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में सहरसा जिला में 533258.30 क्विंटल (64.79%), सुपौल जिला में 1075347.30 क्विंटल (92.59%) एवं मधेपुरा जिला में 831543.00 क्विंटल (75.32%) धान अधिप्राप्ति पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से कर ली गई है । इन तीन जिलों में अभी तक मात्र 32% ही धान अधिप्राप्ति हो पायी है । अत: खरीफ विपणन वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य में सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में धान अधिप्राप्ति की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	सहकारिता

2.	श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स० श्री भीम कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राम रतन सिंह, स०वि०स० श्री सूर्यकान्त पासवान, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० श्री मुरारी प्रसाद गौतम स०वि०स०	''पनबिजली योजना के अंतर्गत पानी से बिजली का उत्पादन न सिर्फ सस्ता है बल्कि प्रदूषणमुक्त भी है । राज्य सरकार ने इसके लिए पहल भी की है लेकिन जितना कारगर पहल होना चाहिए, नहीं की गई है । राज्य में नदियों का जाल बिछा है, लेकिन मात्र 54 मेगावाट बिजली का उत्पादन पानी से हो रहा है । यदि किसी नदियों का आकलन किया जाए तो कई हजार मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है । सरकार ने 2023-24 में गंडक, बूढ़ी गंडक एवं महानंदा नदियों पर जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वेक्षण कराया था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक उस दिशा में पहल नहीं की गई है । अत: राज्य की नदियों पर अधिक से अधिक पनबिजली संयंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को प्रदूषणमुक्त सस्ती बिजली दिये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	ऊर्जा

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-5/2024- 339 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-5/2024- 339 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्य मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-5/2024- 339 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग तथा ऊर्जा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-4/2024- 339 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।